न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस.

1. सुनीता देवी पत्नि हरीशंकर बेवाल जाति महाजन निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज.।

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र रूपा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिरामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।
2. श्रीमति रूपकंवर पत्नि रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हरिरामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।
3. श्रीमति विमला देवी पत्नि प्रभुनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम महल तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमति वर्षादेवी पत्नि शिवसिंह मीना जाति मीना निवासी बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली, राज.।
5. श्रीमति गोकुलदेवी पत्नि मूलचंद
6. सूरज पुत्र मूलचंद (मृतक दौराने दावा)

6/1. मंजू देवी पत्नि स्व. सूरज जाति हरि. ब्राह्मण ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।

7. सत्यनारायण पुत्र मूलचंद समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम– हरियामपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. उप पंजियक बस्सी, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः– 18.05.2018

प्रार्थना पत्रः 229/16

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकीलप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे। वकीलप्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकीलप्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुनने एंव उपस्थित मौतबिरान से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदातल हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 32 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को पांबद किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.13 को जारी स्थगन आदेश की पालना में उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करे एवं वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

आज दिनांक 18.05.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा में मजमें आम में सुनाया गया।

18.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर